

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस
राजस्व / विविध प्रार्थना-पत्र / रा.का.अधि. / 43 / 2019 / बाड़मेर

अपीलांत

रेस्पोंडेंटगण

1. श्रीमती नोजीदेवी पत्नी हीराराम बनाम 1. श्रीमती जीयोदेवी पुत्री धन्नाराम

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 21 सिविल प्रक्रिया संहिता
वास्तेएकतरफा आदेश दिनांक 17.06.2019 के विरुद्ध पेश हुआ।

उपस्थित

1. वकील श्री देवीलाल कुमावत प्रार्थीगण की ओर से
2. वकील श्री हरिराम चौधरी विप्रार्थी संख्या 01 की ओर से

निर्णय

दिनांक:- 12.12.2019

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र पेश कर संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार बताया है कि राजस्व अपील के सम्मन उतरदातागण को कभी भी प्राप्त नहीं हुए है। अपील के सम्मन अपीलांत द्वारा भेजे गये है, उन्हें स्वयं अपीलांत द्वारा डाक विभाग के कर्मचारी से मिलभगत कर हम उतरदातागण तक नहीं पहुंचने दिये गये। उतरदातागण को राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत की गई केवियट प्रार्थना-पत्र की प्रति प्राप्त होने पर इस राजस्व अपील में हुए निर्णय की जानकारी हुई है। माननीय न्यायालय द्वारा उतरदातागण के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. से भेजे जाने के आदेश पारित किये गये किन्तु अपीलांत द्वारा रजिस्टर्ड डाक के साथ ए.डी. प्रस्तुत ही नहीं की गई चाकि ए.डी. पुनः न्यायालय में प्राप्त नहीं हो। रजिस्ट्री डाक सम्मन देवाराम को मिले अपीलाधीन निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है। प्रार्थी / उतरदातागण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलांत द्वारा न्यायालय हाजा को अधेरे में रख कर अपीलाधीन निर्णय पारित करवाया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांत को आलोच्य निर्णय का ज्ञान होने पर प्रार्थना-पत्र पेश किया गया है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर उतरदातागण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जावे।

वकील विप्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि डाक विभाग से अपीलांत द्वारा की गई मिलावट का कोई सबूत प्रार्थी ने न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है। उतरदातागण द्वारा डाक विभाग के खिलाफ कोई कार्यवाही की होती तो पेश करते। प्रार्थी का आवेदन मियाद बाहर है। मियाद के बिंदु का कोई संतोषप्रद कारण भी नहीं बताया गया है। उतरदातागण मामले को लंबा कर न्यायालय का समय जाये कर रहे है। उतरदातागण के इस आपति पूर्ण रवैय का कही अंत नजर नहीं आ रहा है। न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत प्रक्रिया को अपनाते हुए पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। न्यायालय हाजा



राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

द्वारा उत्तरदातागण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया बावजूद सूचना जानबूझकर अनुपस्थित रहे है। अधिवक्ता विप्रार्थी ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:-

RRD 2009 Page 116

RLW 2007(2) Page 810

उत्तरदातागण द्वारा पेश आवेदन खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष को अवेदन प्रार्थना-पत्र पर सुना गया। बहस सुनने एवं पत्रावली

का अवलोकन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि न्यायालय हाजा द्वारा उत्तरदातागण के नाम रजिस्टर्ड सम्मन भिजवाये गये जिसमें यदि तामिल संबंधी कार्यवाही में किसी प्रकार की त्रुटि डाक विभाग द्वारा जानबूझकर की गई है तो उत्तरदातागण डाक विभाग के विरुद्ध समक्ष स्तर पर कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है। हस्तगत प्रकरण को न्यायालय हाजा द्वारा सुना जा चुका है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि "अपीलांट जीयोदेवी धन्ना की एक मात्र वारिस एवं पुत्री हैं, जो पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड से साबित है। हुकमाराम (उत्तरदाता संख्या 03 के पिता) के नाम धन्ना की भूमि में उसकी फोतेदगी पर भरा गया नामांतरकरण पारंभत शून्य एवं अवैध है क्योंकि वास्तव में हुकमाराम धन्ना का पुत्र नहीं है बल्कि वह आदू का प्राकृतिक पुत्र है, जो वादपत्र में प्रतिवादी संख्या 03 की आर से प्रस्तुत जबाव दावा से स्पष्ट है। वादग्रस्त भूमि में धन्ना का जो हिस्सा खातेदारी में निहित था जो उसकी मृत्यु के उपरांत हिन्दू उत्तराधिकारी कानून के तहत उसकी एक मात्र जाईदा पुत्री अपीलांट (जीयोदेवी) में निहित हो गया इसलिए इस भूमि में उसके हक हिस्से की भूमि का हस्तांतरण प्रारंभत अवैध एवं शून्य है।" उत्तरदातागण द्वारा पेश प्रार्थना-पत्र में जो मुद्दे उठाये गये है उससे संबंधी किसी प्रकार का साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया गया है जो काल्पनिक व विधि सम्मत नहीं लग रहा है। उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा विप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में उत्तरदातागण/प्रार्थी का आवेदन खारिज करने योग्य ठहरता है।



लिहाजा प्रार्थी/उत्तरदातागण का प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है।

लिहाजा
12/12/19
(नाथूसिंह राजस्व अपील प्राधिकारी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 12.12.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

लिहाजा
12/12/19
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर